रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102021-230267 CG-DL-E-08102021-230267

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3845] No. 3845] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 8, 2021/आश्विन 16, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943

# रसायन और उर्वरक मंत्रालय

# (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

## आदेश

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4180(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, 100 प्रतिशत पॉलिस्टर स्पून ग्रे और व्हाइट यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 100 प्रतिशत पॉलिस्टर स्पून ग्रे और व्हाइट यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 है।
- (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. 100 प्रतिशत पॉलिस्टर स्पून ग्रे और व्हाइट यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थातु:-
  - "(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा"।

[फा.सं. पीसी-II 46016/6/2020- टेक.सीपीसी- भाग-(1)]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1618 (अ) तारीख 15 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

5774 GI/2021 (1)

#### MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

## (Department of Chemicals and Petrochemicals)

#### **ORDER**

New Delhi, the, 8th October, 2021

- **S.O.** 4180(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the 100 percent Polyester Spun Grey and White Yarn (PSY) (Quality Control) Order, 2021, namely:-
- 1. (1) **Short title and commencement.** (1) This Order may be called the 100 percent Polyester Spun Grey and White Yarn (PSY) (Quality Control) Amendment Order, 2021.
- (2) It shall come in the force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the 100 percent Polyester Spun Grey and White Yarn (PSY) (Quality Control) Order, 2021, in Paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
- "(2) This order shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette".

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC - Part (1)]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 1618 (E) dated 15th April, 2021.

#### आदेश

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2021

- का.आ. 4181(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एथीलीन विनाइल एसीटेट को पोलिमर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है. अर्थात:-
- 1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एथीलीन विनाइल एसीटेट को पोलिमर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश. 2021 है।
- (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. एथीलीन विनाइल एसीटेट को पोलिमर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा"।

[फा.सं. पीसी-II 46016/6/2020- टेक.सीपीसी- भाग-(1)]

काशी नाथ झा. संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1620(अ) तारीख 15 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

#### **ORDER**

New Delhi, the, 8th October, 2021

- **S.O.** 4181(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (Quality Control) Order, 2021, namely:-
- 1. (1) **Short title and commencement**. (1) This Order may be called the Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (Quality Control) Amendment Order, 2021.
- (2) It shall come in the force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (Quality Control) Order, 2021, in Paragraph 1, for subparagraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
- "(2) This order shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette".

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC - Part (1)]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 1620 (E) dated 15th April, 2021.

#### आदेश

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2021

- का.आ. 4182(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, लीनियर अल्काइल बेंज़ीन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है. अर्थात:-
- 1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लीनियर अल्काइल बेंज़ीन (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 है।
- (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. लीनियर अल्काइल बेंज़ीन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा"।

[फा.सं. पीसी-II 46016/6/2020- टेक.सीपीसी- भाग-(1)]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1664(अ) तारीख 15 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

## **ORDER**

New Delhi, the, 8th October, 2021

**S.O.** 4182(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Linear Alkyl Benzene (Quality Control) Order, 2021, namely:-

- 1. (1) **Short title and commencement**. (1) This Order may be called the Linear Alkyl Benzene (Quality Control) Amendment Order, 2021.
- (2) It shall come in the force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Linear Alkyl Benzene (Quality Control) Order, 2021, in Paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
- "(2) This order shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette".

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC - Part (1)]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 1664(E) dated 15th April, 2021.

## आदेश

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर , 2021

- का.आ. 4183(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, पॉलिस्टर किन्टिनुअस फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातु:-
- 1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिस्टर कन्टिनुअस फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 है।
- (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. पॉलिस्टर कन्टिनुअस फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2021 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थातु:-
- "(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा"।

[फा.सं. पीसी-II 46016/6/2020- टेक.सीपीसी- भाग-(1)]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1621(अ) तारीख 15 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

## **ORDER**

New Delhi, the, 8th October, 2021

- **S.O.** 4183(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Order, 2021, namely:-
- 1. (1) **Short title and commencement**. (1) This Order may be called the Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Amendment Order, 2021.
- (2) It shall come in the force on the date of its publication in the Official Gazette.

- 2. In the Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Order, 2021, in Paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
- "(2) This order shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette".

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC - Part (1)]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 1621(E) dated 15th April, 2021.

#### आदेश

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2021

- का.आ. 4184(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, पॉलिस्टर इंडस्ट्रियल यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-
- 1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिस्टर इंडस्ट्रियल यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 है।
- (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. पॉलिस्टर इंडस्ट्रियल यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा"।

[फा.सं. पीसी-II 46016/6/2020- टेक.सीपीसी- भाग-(1)]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1622(अ) तारीख 15 अप्रैल. 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

#### **ORDER**

New Delhi, the, 8th October, 2021

- **S.O. 4184(E).** In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Polyester Industrial Yarn (Quality Control) Order, 2021, namely:-
- 1. (1) **Short title and commencement**. (1) This Order may be called the Polyester Industrial Yarn (Quality Control) Amendment Order, 2021.
- (2) It shall come in the force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Polyester Industrial Yarn (Quality Control) Order, 2021, in Paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
- "(2) This order shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette".

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC - Part (1)]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 1622(E) dated 15th April, 2021.

#### आदेश

# नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2021

- का.आ. 4185(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, पॉलिस्टर पार्शियली ओरियेंटेड यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-
- 1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिस्टर पॉलिस्टर पार्शियली ओरियेंटेड यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 है।
- (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. पॉलिस्टर पार्शियली ओरियेंटेड यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2021 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा"।

[फा.सं. पीसी-II 46016/6/2020- टेक.सीपीसी- भाग-(1)]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1623(अ) तारीख 15 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

## **ORDER**

New Delhi, the, 8th October, 2021

- **S.O. 4185(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Polyester Partially Oriented Yarn (Quality Control) Order, 2021, namely:-
- 1. (1) **Short title and commencement**. (1) This Order may be called the Polyester Partially Oriented Yarn (Quality Control) Amendment Order, 2021.
- (2) It shall come in the force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Polyester Partially Oriented Yarn (Quality Control) Order, 2021, in Paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
- "(2) This order shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette".

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC - Part (1)]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 1623(E) dated 15th April, 2021.

# आदेश

# नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2021

- का.आ. 4186(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-
- 1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 है।
- (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा"।

[फा.सं. पीसी-II 46016/6/2020- टेक.सीपीसी- भाग-(1)]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1624(अ) तारीख 15 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

#### **ORDER**

New Delhi, the, 8th October, 2021

- **S.O.** 4186(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Polyester Staple Fibres (Quality Control) Order, 2021, namely:-
- 1. (1) **Short title and commencement**. (1) This Order may be called the Polyester Staple Fibres (Quality Control) Amendment Order, 2021.
- (2) It shall come in the force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Polyester Staple Fibres (Quality Control) Order, 2021, in Paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
- "(2) This order shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette".

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC - Part (1)]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 1624(E) dated 15th April, 2021.

#### आदेश

# नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2021

- का.आ. 4187(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, मौल्डिंग और एक्स्ट्रूजन के लिए पॉलीएथिलीन मटीरियल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-
- 1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मौल्डिंग और एक्स्ट्रूजन के लिए पॉलीएथिलीन मटीरियल (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 है।
- (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. मौल्डिंग और एक्स्ट्रूजन के लिए पॉलीएथिलीन मटीरियल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा"।

[फा.सं. पीसी-II 46016/6/2020- टेक.सीपीसी- भाग-(1)]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1625(अ) तारीख 15 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

#### **ORDER**

New Delhi, the, 8th October, 2021

- **S.O. 4187(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Polyethylene Material for moulding and extrusion(Quality Control) Order, 2021, namely:-
- 1. (1) **Short title and commencement**. (1) This Order may be called the Polyethylene Material for moulding and extrusion (Quality Control) Amendment Order, 2021.
- (2) It shall come in the force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Polyethylene Material for moulding and extrusion (Quality Control) Order, 2021, in Paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
- "(2) This order shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette".

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC - Part (1)]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 1625(E) dated 15th April, 2021.

#### आदेश

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4188(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमेंट आधारित मैट्रिक्स में प्रयोग के लिए सिंथेटिक माइक्रो - फाइबर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम सीमेंट आधारित मैट्रिक्स में प्रयोग के लिए सिंथेटिक माइक्रो फाइबर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 है।
- (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. सीमेंट आधारित मैट्रिक्स में प्रयोग के लिए सिंथेटिक माइक्रो फाइबर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2021 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा"।

[फा.सं. पीसी-II 46016/6/2020- टेक.सीपीसी- भाग-(1)]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1627(अ) तारीख 15 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

#### **ORDER**

New Delhi, the, 8th October, 2021

- **S.O.** 4188(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Synthetic Micro-Fibres for use in Cement Based Matrix (Quality Control) Order, 2021, namely:-
- 1. (1) **Short title and commencement**. (1) This Order may be called the Synthetic Micro-Fibres for use in Cement Based Matrix (Quality Control) Amendment Order, 2021.
- (2) It shall come in the force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Synthetic Micro-Fibres for use in Cement Based Matrix (Quality Control) Order, 2021, in Paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
- "(2) This order shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette".

[F. No. PC-II 46016/6/2020-Tech.CPC - Part (1)]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 1627(E) dated 15th April, 2021.